



पूरा नल को बनाम राजा  
आज्ञा विस्तृत रूप से  
प्राप्तिका

उपखण्ड  
विराटनगर

14-2-18

वकुलाप उम वास्ते पेच धरे  
जिलाप प्रपत्र व नक्शा  
रजिस्टर वापसी वाली गणना  
ए-5 दिनांक 07-3-18 को पेच  
दो

उपखण्ड अधिकारी  
विराटनगर (जयपुर)

07-3-18

अनिमाक संघ द्वारा प्राधिकार काप  
स्थगित रखा गया। गत आदेश  
की पालना के दिनांक 25-4-18  
को पेच द्यो

उपखण्ड अधिकारी  
विराटनगर (जयपुर)

09/05/18

पत्रावली राज (कल्लोक अदालत में  
वास्ते सुनवाई पेश हुई। उपस्थित प्रार्थी  
एवं अप्रार्थी सं.। लगायत प के अधिकार  
को सुना गया। पत्रावली, पत्रावली पर  
उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत  
प्रावधानों का अवलोकन किया गया  
एवं मनन किया गया।

उत्तर

पत्रावली

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  
अधिनियम 1988 के प्रावधानों के तहत  
गठित एक संविधिबु निकाय है, जिसके  
राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, प्रबंधन,  
एवं रख-रखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई  
है। केन्द्र सरकार किली भी राष्ट्रीय  
राजमार्गों के प्रबंधन, अनुसंधान  
प्रचालन, इलाके 4/6 लेनीकरण करे




उपखण्ड अधिकारी  
विराटनगर (जयपुर)

फर्द अहकाम

पुराणलक्ष्मी वनाम

V/S मातल एरम काय



109/2017

प्राथना पत्र

सत्यमेव जयते

आज्ञा या

विधी

Not Official

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 9 के तहत केन्द्र सरकार भारत के राष्ट्रपति में अधिसूचना प्रकाशित कर सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति करती है, जिसके तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा अभिनिर्धारण का कार्य कराया जाता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 के 142.40 कि.मी. से 212.100 कि.मी. (गुडगांव-कोटपुतली-जयपुर सेक्शन) तक के भूखण्ड के निम्नलिखित अनुरक्षण एवं प्रबंधन सड़क को चौड़ा करने के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3A के तहत विभिन्न सभाचार पत्रों में अधिसूचनाएं प्रकाशित की गईं, उक्त अधिसूचनाओं में वाडगाह सं. नं. 2948, 3964/2948, 2949, 3961/2949, 3962/2949 का कोई भाग सम्मिलित नहीं है। प्राथना की कोई भी अपाति नहीं है। यह भी कि प्राथना की वाडगाह भूमि कायत धारा 3B के अंतर्गत कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है। अतः प्राथना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली के तहत शुभारंभ कालिल उपचार रहे।



*(Signature)*

9/5/18

पीठासीन अधिकारी

आज्ञा विस्तृत रूप से